



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 22 मई, 2026 ई०

ज्येष्ठ 01, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

पर्यटन तथा धर्मस्व अनुभाग-1

संख्या- 491/VI(1)/2026-166 (पर्य०)2002 टी०सी०

देहरादून, 22 मई, 2026

अधिसूचना

प० आ०-20

श्री बद्रीनाथ तथा केदारनाथ मन्दिर अधिनियम 1939 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या-16/1939 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) की धारा-5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से धारा-26 (छ) के अधीन निम्न 02 (दो) महानुभावों को श्री बद्रीनाथ तथा केदारनाथ मन्दिर समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	नाम	जिला	पदनाम
1.	सुश्री कमला बगवाड़ी	अगस्त्य मुनि, रुद्रप्रयाग	विशेष आमंत्रित सदस्य
2.	श्री जे०पी० सेमवाल पुत्र श्री मनीराम सेमवाल	ग्राम मरकोटा, पो०-पांग, पाबौ, जनपद-पौड़ी गढ़वाल	विशेष आमंत्रित सदस्य

उक्त विशेष आमंत्रित सदस्यों का कार्यकाल आदेश निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए होगा।

आज्ञा से,
धीराज सिंह गर्बाल,
सचिव।